बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–ग्रा०का०–4 (ग्रा०)–3054–01–129/2022 – 2573 / पटना, दिनांक–22/11/2022

प्रेषक,

संजय दूबे, भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव (विपत्र कोड–37–3054–04–105–0001) व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:–

SL.No	Name of Division	Block	Project ID	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5 years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) (in Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Samastipur	Samastipur	32010102211	L087 To Bajitpur	2.150	92.44000	34.82000	9.24000	136.50000
2	Samastipur	Samastipur	32010102208	L079-L078 Pokhraira to Madanpur (VR-79)	1.700	84.48000	24.27000	8.45000	117.20000
3	Samastipur	Samastipur	32010112007	L022 to Kharaj Primary School	1.000	53.03600	7.73700	5.30300	66.07600
4	Samastipur	Samastipur	NEA22000672	MDR T04 to Bhuidhara	0.870	39.01000	12.25100	3.90100	55.16200
5	Samastipur	Tajpur	32010102175	L050 to Bajitpur Sarsauna	1.620	50.66000	19.84000	5.07000	75.57000
6	Samastipur	Tajpur	32010102153	SH T01 to Manpura	2.350	109.87000	36.51000	10.99000	157.37000
7	Samastipur	Tajpur	32010102157	X Road L033 to Chak Jatra	2.000	89.70000	29.86000	8.97000	128.53000
8	Samastipur	Tajpur	32010102188	T02 to Muradpur Bangla Harijan Tola	1.418	70.70000	14.67000	7.07000	92.44000
9	Samastipur	Tajpur	32010102131	T02 to Chak Mahmud	2.900	118.38400	31.49800	11.83800	161.72000
10	Darbhanga-2	Jale	31909312016	DKBSM Rajaun Chowk to Rajun Pali	0.820	47.37300	7.85900	4.73700	59.96900
11	Darbhanga-2	Jale	31909304004	Kalam Chowk to Kachhua	0.890	34.71600	9.86300	3.47500	48.05400
12	Biraul	Biraul	31909902057	T029 to Rajmani tok	3.624	185.56000	43.55000	18.56000	247.67000
13	Sitamarhi	Sonbarsa	31601902192	Ramnagar Rasulpur To Chilri NH 77	1.490	79.74100	14.56100	7.97500	102.28000
14	Sitamarhi	Sonbarsa	31601902178	Parsa Khurd To Bhalua Tol	2.050	117.19200	18.06100	11.71200	146.97000
			Total		24.851				1595.54100

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, समस्तीपुर, दरभंगा–2, बिरौल एवं सीतामढ़ी योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन

28/11/2022

3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त निविदा का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–187/2022 में दिनांक 26.07.2022, संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–151/2022 में दिनांक 03.08.2022 एवं संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–129/2022 में दिनांक 08.08.2022 को प्राप्त है।

5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–28.11.22 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–129/2022 में अनुमोदन प्राप्त है।

6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।

9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ग्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगें।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4(मु0)–3054 01–129/2022 के पृ0–21/टि0 पर दिनांक–14.11.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/11/2022

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–129/2022 - 2573 /पटना, दिनांक–28/11/2022

प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक–मु0अ0–4 (मु0)–3054–01–129/2022 - 2573 /पटना, दिनांक–28/11/2022

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/11/2022

विशेष सचिव

M.K. 6